

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 369/14

संस्थापन दिनांक:-21/06/14

फाईलिंग नं. 233504005252014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. निलेश पिता मोतीलाल पहाड़े, उम्र 29 वर्ष
2. कमलेश पिता मोतीलाल पहाड़े, उम्र 32 वर्ष
3. अरविंद पिता मोतीलाल पहाड़े, उम्र 40 वर्ष,
 सभी निवासी ग्राम अम्बाड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.05.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.05.2014 को सुबह 09:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थी के खेत के पास ग्राम अम्बाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी गोमा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी गोमा को डंडा, हाथ घूसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 30.05.2014 को सुबह 09:30 बजे खेत गया था। तभी वहां अभियुक्तगण आये और उससे चप्पल के पैसे मांगने लगे जिस पर उसने कहा कि काम के पैसे से काट लेना। इसी बात पर से अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसे डंडा से मारपीट किसे जिससे उसे दाहिनी आंख के उपर, सीने पर, पैर में चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 379/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त कमलेश से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक

तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी गोमा को डंडा, हाथ घूसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 गोमा भलावी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 गोमा भलावी (अ.सा.-1) ने यद्यपि घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा उसे मां बहन की गालियां दी जाना बताया है परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था।

अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी गोमा भलावी (अ.सा.-1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी गोमा भलावी (अ.सा.-1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 गोमा भलावी (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे डंडे, हाथ-मुक्के से मारा था जिससे उसे माथे, सीने और पैर में चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने दिनांक 30.05.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत गोमा का परीक्षण किये जाने पर उसकी दाहिनी आंख के पास 2 गुणा 1 गुणा 1 एवं 1 गुणा 1 गुणा 0.5 सेमी. आकार के फटे हुए घाव, दाहिनी अग्रभुजा पर 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द तथा दाहिने पैर में 5 गुणा 3 सेमी. आकार एवं जांघ में 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द होना पाया था। साक्षी ने आहत को आयी सभी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-9) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी एवं आहत गोमा (अ.सा.-1) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत गोमा के शरीर पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 सत्यनारायण पांडे (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 31.05.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 379/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तथा दिनांक 02.06.2014 को अभियुक्त कमलेश से एक बांस की

लकड़ी जप्त कर (प्रदर्श पी-4) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त निलेश, कमलेश एवं अरविंद को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी साक्षी ने आहत के कथनों का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र आहत की साक्ष्य है। अतः एकमात्र फरियादी के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तथ्य प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी मुन्ना (अ.सा.-5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। जप्ती एवं गिरफ्तारी का साक्षी अमरलाल (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में अपने समक्ष अभियुक्त कमलेश से जप्ती एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से जप्ती एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से इनकार किया है और यह बताया है कि उसने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी मुन्ना (अ.सा.-5) से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 दामजी (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को फरियादी गोमा पैसे मांगने के लिए अभियुक्तगण के घर गया था, वहां लड़ाई झगड़ा हुआ था, वह अपने घर पर था इसलिए कुछ नहीं देखा। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। संजलीबाई (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि उसे उसके पिता दामजी (अ.सा.-2) ने जिनका घर अभियुक्तगण के घर के पास है, उन्होंने यह बताया था कि उसके लड़के के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट की है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसे उसके पिता दामजी ने यह भी बताया था कि उन्होंने बीच बचाव किया था। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि घटना उन्होंने नहीं देखी थी। अभियोजन कथा अनुसार उपर्युक्त दोनों साक्षीगण चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं परंतु उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन का इतना समर्थन होता है कि घटना दिनांक को फरियादी एवं अभियुक्तगण के बीच पैसे की बात पर से विवाद हुआ था।

14 अभिलेख पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी गोमा की मारपीट किये जाने के संबंध में मात्र आहत गोमा (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक फरियादी की एकल असंपुष्ट साक्ष्य का प्रश्न है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्टतः वर्णित है कि— *किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने*

के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465** के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रति पादित किया है कि — *एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है*, अवलोकनीय है। अतः आहत गोमा (अ.सा.-1) के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

15 गोमा भलावी (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर के पास की सुबह 09:30 बजे की है। घटना के समय वह घर के पास खड़ा था। तभी अभियुक्तगण आये और उसे डंडे एवं हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे जिससे उसे माथे, सीने और पैर में चोट आयी थी। साक्षी ने आगे यह बताया कि उसने अभियुक्तगण की दुकान से चप्पल खरीदा था उसी चप्पल के पैसे उधार थे उसे पैसे पर से विवाद हुआ था। घटना सतीश, मुन्ना एवं उसकी मां संजली ने देखी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना दिन को वह अभियुक्त निलेश के घर पुराने काम के पैसे मांगने सुबह 9-10 बजे गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण के घर जो घटना घटित हुई थी उसकी उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसे घर पर अभियुक्त कमलेश, निलेश और अरविंद मिले थे और हमारे बीच की बातचीत पड़ोस में रहने वाले दामजी ने सुनी थी और घटना मुन्ना कवड़े ने देखी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना उसकी मां ने नहीं देखी थी तथा साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने डंडे और हाथ मुक्के से उसकी मारपीट नहीं की थी।

16 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** आहत गोमा (अ.सा.-1) के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के कथनों में विरोधाभास है तथा उसके कथनों का समर्थन अभियोजन कथा से भी नहीं हो रहा है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि गोमा (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में घटना सुबह 09:30 की उसके घर के सामने की बतायी है। जबकि अभियोजन कथा अनुसार घटना उसके घर के सामने की नहीं है परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह घटना के दिन सुबह 9-10 बजे अभियुक्तगण के घर काम के पैसे मांगने के लिए गया था और अभियुक्तगण के घर पर जो घटना हुई थी उसी की उसने रिपोर्ट की थी। इस प्रकार साक्षी गोमा (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में जो बात कही है उसका स्पष्टीकरण स्वयं उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 एवं 05 के कथनों से हो रहा है। साक्षी पैसों के विवाद से अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने की बात पर पूर्णतः स्थिर है। घटना दिनांक 30.05.2014 की है। साक्षी के कथन न्यायालय में दिनांक 04.03.2016 को अर्थात् घटना के लगभग दो वर्ष के पश्चात हुए हैं। अतः इतनी लंबी अवधि में किसी भी व्यक्ति से शब्दशः घटना के वर्णन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है एवं सामान्य मानवीय स्वभाव के अनुसार लगभग दो वर्ष बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी घटना के संबंध में जानकारी दिये जाने में मामूली

विरोधाभास आना स्वाभाविक है।

17 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 30.05.2014 की सुबह 09:30 बजे की है। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के तत्काल पश्चात प्रातः 11:30 बजे लेख करा दी गयी है। आहत के तत्काल पश्चात हुए चिकित्सकीय परीक्षण में आहत की आंख, सीने, पैर में चोट पायी गयी थी तथा न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में भी साक्षी ने माथे, सीने और पैर में चोट आना बताया है। आहत की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। आहत के द्वारा बिना विलंब रिपोर्ट लेख कराये जाने से अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना भी परिलक्षित नहीं हो रही है। आहत गोमा (अ.सा.-1) अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। अतः एकमात्र आहत के कथनों पर विश्वास कर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी।

18 अभियुक्तगण का एक साथ फरियादी के साथ डंडे एवं हाथ मुक्के से मारपीट किया जाना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्तगण का कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी डंडे एवं हाथ मुक्के से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गोमा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी गोमा को डंडा, हाथ घूसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण निलेश, कमलेश एवं अरविंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

20 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा तीनों अभियुक्तगण आपस में सगे भाई होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। साथ ही यह निवेदन किया कि अभियुक्त निलेश के बच्चे की मृत्यु अभी हुई है और तीनों भाई मिलकर जूते चप्पल सुधारने का काम करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ डंडे एवं हाथ मुक्के से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

23 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा तीनों अभियुक्तगण आपस में सगे भाई हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 700/-700/- रुपये कुल 2,100/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15-15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 1,500/- रुपये आहत गोमा पिता सुम्मत भलावी निवासी अम्बाड़ा, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

25 प्रकरण में जप्त एक बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

26 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)